



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/60/2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 29.04.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/198

श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र स्व. श्री शुभकरण शर्मा निवासी मण्डफिया, तहसील भदोसर
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 25.05.2021



सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 20.03.2021 को रजिस्टर्ड डाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 60/2021/(25.05)/391 दिनांक 03.05.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 25.05.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी सम संख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 25.05.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/267 दिनांक 24.05.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)





प्रकरण संख्या 60/2021 (सू.अ.)
श्री राधेश्याम शर्मा निवासी मण्डफिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

1. यह कि प्रार्थी श्री राधेश्याम शर्मा निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 20.03.2021 को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने से अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2021 इस कार्यालय में आदिनांक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को उक्त संदर्भित पत्रांक/अपील में के साथ प्राप्त हुआ है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य प्रभारी अधिकारी, संस्थापन अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 का संक्रमण होने से कार्यालय में पर्याप्त कार्मिक नहीं होने एवं कोविड-19 के संबंधित आवश्यक कार्य संपादित करने से वर्तमान में सूचना तैयार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
3. यह कि प्रार्थी द्वारा आये दिन राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में भिन्न-भिन्न प्रकार की सूचना चाही जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि प्रार्थी को वांछित सूचना का कोई सीधा संबंध/व्यक्तिगत कारण प्रतीत नहीं होते हैं।
4. यह कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम के कारण कार्यालय में अन्य कार्य प्रभावित होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
5. यह कि उक्त प्रकरण पर प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आगामी पेशी दिनांक दिलाने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/267 दिनांक 24.05.2021 से प्रेषित कमेंट्स का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाएँ चाहने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2021, दिनांक 20.03.2021 को ही रजिस्टर्ड डाक से अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के कार्यालय

23

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)





प्रकरण संख्या 60/2021 (सू.अ.)
श्री राधेश्याम शर्मा निवासी मण्डफिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

में प्रेषित किया गया है जिससे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ का कथन की, उक्त आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2021 उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं होकर इस अपील में के साथ प्राप्त हुआ है मानने योग्य नहीं है।

अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा भी वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के कारण पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तथा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के कार्यों में व्यस्तता के चलते अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त समय चाहा है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव में कमी आने तथा पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध होने के पश्चात् वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।



२ ३
(तारा चन्द मीणा)

लोक सूचना अपीलीय आई.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./60/2021(सू.अ.)/५१६
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- २५/०५/२०२१

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री राधेश्याम शर्मा पिता स्व. श्री शुभकरण शर्मा निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

२ ३
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)